प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.04.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 28.02.2025 को वादिया द्वारा थाना मुरादनगर पर सूचना दी गई कि वादिया की पुत्री के ऊपर उसके पति इंतखाब आलम पुत्र मौ0 असलम निवासी मौहल्ला व्यापारियान रावली रोड मुरादनगर गाजियाबाद आदि के द्वारा पैट्रोल छिड़ककर बाथरूम में धक्का देकर आग लगाकर दरवाजा बन्द कर देना जिससे वादिया की पुत्री का 75 प्रतिशत शरीर जल जाना व पूर्व में मारपीट करना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल अन्तर्गत धारा 115(2)/127(2)/118(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया । दिनांक 07.03.2025 को पीडिता की सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी तथा विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1), 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी । तत्पश्चात दिनांक 10.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त इंतखाब आलम पुत्र मौ0 असलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

आज दिनांक 04.04.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 25000/- रुपये का इनामी अभियुक्त परवेज कुरैशी पुत्र मौ0 असलम निवासी रावली रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष को रावली कट के पास से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 25.02.2025 को भी जब मेरा भाई शराब की बोतल लेकर शराब पीने के लिए अपने घर आया जैसे ही वह घर में बैठकर शराब पीने लगा तो उसकी पत्नी मेरे भाई के साथ झगडा करने लगी आवाज सुनकर मैं तथा मेरी पत्नी सीमा भी आ गये थे । हमारे घर में सर्दियो में आग जलाने के लिये पैट्रोल की बोतल रखी थी तो मेरे भाई ने पैट्रोल की बोतल उठाकर मेरे व मेरी पत्नी सीमा की मदद से अपनी पत्नी के ऊपर डाल दी तथा इंतखाब ने पास में ही रखी माचिस उठाकर दूर से ही तीली फैंक दी थी जब वह चिल्लाने लगी तो हम सब मौके से भाग गये थे । बाद में सबूत मिटाने के उद्देश्य से मैंने तथा मेरी पत्नी सीमा ने मिलकर घर की सफाई कर दी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

परवेज कुरैशी पुत्र मौ0 असलम निवासी रावली रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 04.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा सहित अभियुक्त इमरान उर्फ नन्हे पुत्र स्व0 मौहम्मद शकील निवासी प्रधान डेयरी के पास अंजली विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 39 वर्ष को अंसार विहार थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे अवैध गांजा खरीद कर लाता हूँ तथा इसकी पुडिया बनाकर राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ तथा मुनाफा कमा लेता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान उर्फ नन्हे पुत्र स्व0 मौहम्मद शकील निवासी प्रधान डेयरी के पास अंजली विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर एनडीपीएस एक्ट व आबकारी अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा छेडछाड के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, उसके साथ बहरामपुर में ट्यूशन पढाने वाले टीचर अंकित पुत्र हरीराज के द्वारा छेडछाड की गयी है। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 75(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 03.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लडकी से छेडछाड की घटना कारित करने वाले अभियुक्त अंकित सक्सेना पुत्र हरीराज सिंह निवासी गली नंबर-11 धामा डेयरी के पास अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को चित्रावन सोसायटी के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर छेडछाड की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं बहरामपुर में बच्चों को ट्यूशन पढाने का काम करता हूँ। करीब 01 सप्ताह पहले पीडिता मेरे पास ट्यूशन पढने के लिए आयी थी। मैंने मौका पाकर पीडिता के साथ छेडछाड की घटना कारित कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित सक्सेना पुत्र हरीराज सिंह निवासी गली नंबर 11 धामा डेयरी के पास अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त फैजान पुत्र मेहंदी हसन निवासी ईदगाह के पास अलवी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को अल्वीनगर पुलिया थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 03/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह तमंचा मैंने अपने दोस्त तैयब पुत्र नईम तथा जुबैर पुत्र मकसूद निवासीगण ईदगाह के पास अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद से लिया था। हम तीनों ने अस्लाहों के साथ कुछ फोटो भी खिचवाए थे जो हमने सोशल मिडिया पर वायरल भी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान पुत्र मेहंदी हसन निवासी ईदगाह के पास अलवी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.तैयब पुत्र नईम निवासी ईदगाह के पास अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

2.जूबैर पुत्र मकसूद निवासी ईदगाह के पास अलवी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.02.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी बेटी उम्र 17 वर्ष को अतुल मावी पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौराने बयान पीडिता व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(2)(झ) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 04.04.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अतुल मावी पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र बन्थला ज्योति महल बन्द फाटक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पीडिता को करीब 01 वर्ष से जानता हूँ। मेरे मित्र का एक मकान बन्थला में है। मेरी वहाँ पर आने- जाने के दौरान पीडिता से जान पहचान हो गयी। हमारी एक दूसरे बातचीत होने लगी। एक दिन मौका पाकर मैं पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अतुल मावी पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 1 करोड़ 73 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने व रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी देने वाला वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

<u>कार्यवाही का विवरणः</u> दिनांक 27.12.2023 को थाना कौशाम्बी पर वादी सुरेश कुमार पुत्र स्व0 लेखराम हाल पता सैक्टर 2 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी वार्ड नम्बर- 3 श्रीराम कॉलोनी माधोपुर सीकर राजस्थान की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त मेहूल सिंह पुत्र टीकम सिंह द्वारा वादी सुरेश कुमार से 1 करोड़ 73 लाख रूपये का सामान खरीद लेना व रुपये न देना तथा मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना कौशाम्बी पर धारा 420,406,506 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा अभियुक्त मेहूल सिंह पुत्र टीकम सिंह पता नम्बर 1. टी 8 मूलचन्द कॉलोनी बेयरिंग नम्बर 134 गुजराती गली आदर्श नगर नार्थ ईस्ट दिल्ली, पता नम्बर 2. डी 16/4 अनुमाला टाउनशिप व्यापारा उँचामिला जनपद टापी गुजरात, पता नम्बर 3. मकान नम्बर 204 श्रद्धापुरी फेस 1 थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ को दिनांक 03.04.2025 को पूछताछ हेतु थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद पर उपस्थित आया जिससे पूर्व में पंजीकृत अभियोग की घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो कोई संतोष जनक जवाब नही दिया। नामजद अभियुक्त मेहूल सिंह पुत्र टीकम के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः</u>- गिरफ्तार अभियुक्त मेहूल सिंह पुत्र टीकम सिंह से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मेहूल सिंह पुत्र टीकम सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी सुरेश कुमार से 1 करोड़ 73 लाख रूपये का सामान खरीदा था। वादी सुरेश कुमार द्वारा उधार दिये गये सामान के रुपये मांगने पर रुपये न देना व वादी सुरेश कुमार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

मेहूल सिंह पुत्र टीकम पता नम्बर 1 टी 8 मूलचन्द कालोनी बेयरिंग नम्बर 134 गुजराती गली आदर्श नगर नार्थ ईस्ट दिल्ली, पता नम्बर 2 डी 16/4 अनुमाला टाउनशिप व्यापारा उँचामिला जनपद टापी गुजरात, पता नम्बर 3 मकान नम्बर 204 श्रद्धापुरी फेस 1 थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 33 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त मेहूल सिंह पुत्र टीकम सिंह के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।